

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या – डी.ई. 25(13)/402/एल.डब्ल्यू./2021-22/2818-2819

दिनांक – 22.03.2022

सेवा में,

श्रीमान् उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।

विषय— विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या – 11, दिनांक – 24.03.2022 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या – 11 (100 प्रतियाँ), जो कि दिनांक-24.03.2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीय



(अशोक कुमार)

उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)

ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054

संख्या – डी.ई. 25(13)/402/एल.डब्ल्यू./2021-22/2818-2819

दिनांक – 22.03.2022

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 को 150 प्रतियाँ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।



(नीरज छतवाल)

अनुभाग अधिकारी (विधायी कार्य शाखा)

Section Officer
(L.W. Branch)
Dte. of Education
Old Sectt., Delhi-110054

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054


अतारांकित प्रश्न संख्या :- 11

दिनांक :- 24.03.2022

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्रीमती बंदना कुमारी

क्या माननीय उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	शालीमार बाग विधान सभा क्षेत्र में स्थित सैकण्डरी स्कूल को अपग्रेड करके सीनियर सैकण्डरी बनाने हेतु डीओई (DoE) द्वारा स्वीकृत कर दिए जाने, ग्राम सभा द्वारा भूमि दिए जाने तथा इसके लिए नए भवन का प्रस्ताव किए जाने के बावजूद इस कार्य में विलंब होने के क्या कारण हैं;	शालीमार बाग विधानसभा में केवल हैदरपुर में स्थित विद्यालय सैकेण्डरी विद्यालय है। जिसे भूमि (प्लॉट) क्षेत्रफल कम होने के कारण अपग्रेड नहीं किया जा सकता।
ख)	यह कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा;	नियमानुसार भूमि अधिग्रहण कार्य होने के उपरान्त यह कार्य किया जा सकता है।
ग)	शिक्षा विभाग द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए छात्रों को शार्टलिस्ट किए जाने के बाद भी प्राइवेट स्कूलों द्वारा दाखिला न दिए जाने के क्या कारण हैं और नियमों की अवहेलना करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ क्या कार्यवाई की गई, पूर्ण विवरण दें; और	इस सम्बंध में प्राप्त शिकायत के वस्तुस्थिति के मद्देनजर उचित कार्यवाई की जाती है। यद्यपि, अभी यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के अंतर्गत एक याचिका संख्या- 10839/2021 (Action Committee Unaided Recognized Private Schools Vs. Directorat of Education, Govt. of NCT of Delhi) के अंतर्गत विचाराधीन है। इस सम्बंध में अगली सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में 20.04.2022 को है। नियमों की अवहेलना करने वालों को कारण बताओं नोटिस भेजा जाता है और दिल्ली स्कूल ऐजुकेशन एक्ट एंड रूल्स, 1973 के सेक्शन 24(3) एंड सेक्शन 24(4) के तहत ऐसे स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है।
घ)	एएच ब्लॉक शालीमार बाग में सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के पुर्ननिर्माण में देरी होने के क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें?	वरियता III में यह कार्य प्रक्रिया में है।


ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054